भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 707

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है ।

14 अग्रहायण, 1947 (शक)

निजी कंपनियों को लक्षित साइबर सुरक्षा और डेटा उल्लंघन

707. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत में निजी कंपनियों को लक्ष्य बनाकर किए जा रहे साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों की बढ़ती संख्या से अवगत है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले 5 वर्षों में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) को प्रतिवर्ष कितनी ऐसी घटनाओं की सूचना दी गई है;

(ग) क्या इन साइबर घटनाओं में व्यक्तिगत, वित्तीय या व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी सहित डेटा के नुकसान की प्रकृति को लेकर कोई आकलन किया गया है;

(घ) क्या निजी कंपनियों के लिए डेटा गोपनीयता और साइबर खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य न्यूनतम मानक या दिशानिर्देश मौजूद हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): सरकार साइबर खतरों**,** भारत सरकार और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों से अवगत है। भारतीय कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम**,** 2000 की धारा 70ख के प्रावधानों के तहत साइबर सुरक्षा घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान सर्ट-इन द्वारा निजी क्षेत्र के संगठनों से संबंधित साइबर सुरक्षा घटनाएं नीचे दी गई हैं:

वर्ष	घटनाएँ
2020	11,03,894
2021	13,54,524
2022	11,99,018
2023	13,88,073
2024	7,31,988

सरकार ने डाटा की गोपनीयता और साइबर खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निजी कंपनियों सहित संगठनों के लिए विभिन्न पहलें की हैं**,** जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं -

I. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और उसके तहत बनाए गए नियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे की स्थापना करते हैं। यह पारदर्शिता, उद्देश्य सीमा, डेटा न्यूनीकरण, सटीकता, सुरक्षा संरक्षा उपायों, समय पर मिटाने और डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों के सम्मान से संबंधित स्पष्ट दायित्वों के साथ व्यक्तिगत डेटा के जिम्मेदार प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के लिए डेटा न्यासियों से संबंधित दायित्व डालता है। यह प्रभावित व्यक्तियों और भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड दोनों को व्यक्तिगत डेटा उल्लंघनों की त्वरित सूचना देना अनिवार्य करता है

II. सर्ट-इन ने सितंबर 2025 में एक साइबर सुरक्षा बेसलाइन दस्तावेज़ जारी किया है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अनुशंसित सुरक्षा नियंत्रणों का न्यूनतम सेट प्रदान करता है। इससे एमएसएमई को अपनी साइबर सुरक्षा स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक प्रतिउपायों को लागू करने में मदद मिलती है।

III. सर्ट-इन द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी), साइबर सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए साइबरस्पेस की जांच करता है। यह कार्रवाई करने के लिए संबंधित संगठनों, राज्य सरकारों और हितधारक एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करता है।

IV. साइबर स्वच्छता केंद्र (सीएसके) सर्ट-इन द्वारा प्रदान की जाने वाली एक नागरिक-केंद्रित सेवा है, जो स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को साइबर स्पेस तक विस्तारित करती है। साइबर स्वच्छता केंद्र बॉटनेट क्लीनिंग एंड मैलवेयर एनालिसिस सेंटर है और दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों का पता लगाने में मदद करता है और इसे हटाने के लिए मुफ्त टूल प्रदान करता है। यह नागरिकों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा युक्तियाँ और सर्वोत्तम पद्धतियाँ भी प्रदान करता है।

V. साइबर सुरक्षा स्थिति और विभिन्न संगठनों की तैयारियों का आकलन करने में सक्षम बनाने के लिए साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

VI. सर्ट-इन ने सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम पद्धतियों के कार्यान्वयन का समर्थन और ऑडिट करने के लिए 231 सुरक्षा ऑडिटिंग संगठनों को सूचीबद्ध किया है।

VII. सर्ट-इन सक्रिय खतरे को कम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों के साथ अनुरूप चेतावनियाँ साझा करने के लिए एक स्वचालित साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म संचालित करता है।

VIII. सर्ट-इन सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के आईटी/साइबर सुरक्षा पेशेवरों के लिए नियमित साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करता है।

IX. सर्ट-इन कंप्यूटर, मोबाइल फोन, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा के लिए नवीनतम साइबर खतरों/ सुभेद्धताओं और प्रतिउपायों के बारे में चेतावनियाँ और परामर्शी निदेश जारी करता है।

******